सं. 38/8/15– पी एंड पी डब्ल्यू (ए)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली– 110003
दिनांक 16 अप्रैल, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषयः अतिरिक्त पेंशन के विनियमन में रुपए के अंश को पूर्ण रूपए में परिवर्तित किया जाना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 1.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/15– पी एंड पी डब्ल्यू (ए) और दिनांक 2.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08– पी एंड पी डब्ल्यू (ए) के द्वारा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को 20% से 100% की दर से अतिरिक्त पेंशन/कुटुंब पेंशन की मंजूरी के निर्देश जारी किए गए थे।

2. यह प्रश्न उठाया गया है कि यदि गणना के उपरांत अतिरिक्त पेंशन रुपए के किसी अंश में आती है तो उसका विनियमन किस प्रकार किया जाए। वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से इस मामले की समीक्षा की गई है, और यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम रूप से परिकलित अतिरिक्त पेंशन की राशि को अगले उच्चतर पूर्ण रुपए में परिवर्तित कर दिया जाए। ऐसे मामलों में जहां वृद्ध पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन को, अतिरिक्त पेंशन को पूर्ण रुपए में परिवर्तित किए बिना नियत/संशोधित किया गया है, उन मामलों में भी, अब से अतिरिक्त पेंशन को अगले उच्चतर पूर्ण रुपए में परिवर्तित किया जाए। तथापि, उन मामलों में, इस प्रकार पूर्ण रुपए में परिवर्तित करने के फलस्वरूप 1.1.2006 से अब तक का अवधि के बकाए का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

3. यह, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 30.3.2015 के आई डी सं. 157/ई V/2015 के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सुरेश
16/4/15
(एस.के. मक्कड़)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)